



## पंजाब नेशनल बैंक

के ईक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए  
ई सी एस अधिदेश फार्म/बैंक ब्यौरे का फार्म

उन शेयरधारकों के लिए जिनकी धारिता केवल मूर्त रूप में है

(शेयरधारकों द्वारा भरा जाये तथा सम्बंधित बैंक\* से प्रमाणित करवाकर एम सी एस लिमिटेड  
(यूनिट पी एन बी) एफ-65, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज 1, नई दिल्ली 110020 को प्रस्तुत किया जाये)

प्रिय महोदय,

ई सी एस अधिदेश/बैंक खाते के ब्यौरों का फार्म

मैं एतद्वारा पंजाब नेशनल बैंक को प्राधिकृत करता हूँ कि वे लाभांश राशि इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा के माध्यम से सीधे ही मेरे बैंक खाते में जमा कर दें।  
अथवा

यदि किन्हीं कारणों से ईसीएस सुविधा उपलब्ध न हो, मैं पंजाब नेशनल बैंक/एम सी एस लिमिटेड को एतद्वारा प्राधिकृत करता हूँ कि वे लाभांश वारंट पर मेरे खाते का निम्न ब्यौरा दर्शा दें।

मेरी धारिता का विवरण निम्नलिखित है:-

प्रथम धारक का नाम	
पता	
फोलियो नम्बर	
धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या	
टेलीफोन नम्बर	

मेरे बैंक खाते जिसमें ईसीएस के माध्यम से राशि जमा कि जानी है / बैंक खाते के ब्यौरा निम्नलिखित है :-

बैंक का नाम	
बैंक शाखा का नाम व पता	
खाते का स्वरूप (कृपया उचित पर चिन्हित करें)	बचत / चालू / कैश क्रेडिट / अन्य (निर्दिष्ट करें)
बैंक खाता संख्या	
बैंक व शाखा की 9 अंकों की माईकर कोड संख्या जो बैंक द्वारा जारी माईकर चैक पर दर्शायी गयी है	

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि उक्त दिया गया विवरण पूर्ण तथा सही है।

यदि अधूरी अथवा गलत सूचना के कारण अथवा अन्यथा क्रेडिट में विलम्ब होता है अथवा क्रेडिट ही नहीं होता है तो मैं पंजाब नेशनल बैंक/एमसीएस लि. को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी।

मैं एतद्वारा सत्यापन हेतु अपने बैंक द्वारा जारी कोरा निरस्त चैक (फोटोकापी/मूल) संलग्न कर रहा हूँ/ रही हूँ।

स्थान :

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि हमारे रिकार्ड के अनुसार उपर्युक्त ब्यौरे सही हैं।

स्थान :

दिनांक :

एकल/प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

सम्बद्ध बैंक के प्रबन्धक के हस्ताक्षर, मोहर सहित

### टिप्पणियाँ

1. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि ई सी एस सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किये गये कुछ नगरों में उपलब्ध है तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये नियमों तथा विनियमों के अनुसार कार्यान्वित किया गया है।
2. कृपया एक फोलियो के लिए एक अधिदेश दें।
3. यह फार्म पहली बार सूचना प्रदान करने अथवा मौजूदा अनुदेशों/अधिदेश में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
4. \*यदि खाताधारक की विनिर्दिष्ट शाखा द्वारा जारी चैक की फोटोकापी/कोरा निरस्त चैक संलग्न किया गया है तो बैंक का प्रमाण-पत्र अपेक्षित नहीं है।

**ECS MANDATE FORM/BANK DETAILS FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON THE EQUITY SHARES OF  
PUNJAB NATIONAL BANK  
FOR SHAREHOLDERS HAVING THEIR HOLDINGS IN PHYSICAL FORM ONLY**

(To be filled up by the shareholder, certified by the bank\* concerned and submitted to MCS Limited  
(Unit - PNB) F-65, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi 110020).

Dear Sir,

**ECS MANDATE FORM/BANK ACCOUNT DETAILS**

I hereby authorize Punjab National Bank to credit the dividend amount directly to my bank Account through the Electronic Clearing Services.

OR

In case ECS facility is not available for any reason, I hereby authorize Punjab National Bank/MCS Limited to incorporate the account details furnished below in the dividend warrant.

The details of my holding are as follows :

Name of the first holder	
Address	
Folio No.	
Number of equity shares held	
Telephone Number	

The details of my bank account to which credit may be given through ECS/Bank Account details, are as follows.

Name of the Bank	
Name & Address of the Branch	
Type of Account (Please tick appropriately)	Savings / Current / Cash Credit / Others (specify)
Bank Account Number	
9 digit MICR code number of the Bank and Branch appearing on the MICR cheque issued by the bank	

I hereby declare that the details given above are complete and correct.

If the credit is delayed or not effected at all, due to incomplete or incorrect information, or otherwise, I shall not hold Punjab National Bank / MCS Limited responsible.

I hereby attach a blank cancelled cheque (photocopy/original) issued by my bank for verification purposes.

Place :

Date :

\_\_\_\_\_  
Signature of the Sole/First shareholder

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records

Place :

Date :

\_\_\_\_\_  
Signature of the Manager of the  
Bank concerned with stamp

**NOTES:**

- The shareholders are advised to note that the ECS facility is available only at certain centres specified by RBI and is implemented as per the rules and regulations framed by RBI in this regard.
- Please furnish one mandate for one folio.
- The form may be used either for communicating for the first time or for making changes in the existing instructions/mandate.
- \*In case photocopy / original blank cancelled cheque issued by Account holder's specific branch is enclosed, certificate from Bank is not required.